



सत्यमेव जयते

प्रभारो
सबपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO- 123
KM- 05
Deptt- 03
C.B. P.R. किया

सं. 82]
No. 82]नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2004/वैशाख 7, 1926
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2004/VAISAKHA 7, 1926 प्रभारो

रा० वि० एकक

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004

आ.अ. 100(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, पंजाब राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों के लिए नियुक्ति से संबंधित दिनांक 7 अप्रैल, 2004 की अपनी अधिसूचना सं. 434/पंजाब-लो.स./2004 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद मद सं. 3-तरन तारन, 6-होशियारपुर तथा 10-संगरूर के सामने निम्नलिखित तत्स्थानी प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएंगी।

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
3-तरन तारन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर	10-तहसीलदार, तरन तारन 11-तहसीलदार, चट्टी
6-होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर	10-तहसीलदार, गढ़शंकर 11-तहसीलदार, होशियारपुर
10-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर	10-तहसीलदार, मलेरकोटला 11-तहसीलदार, बरनाला

उपर्युक्त नियुक्तियां केवल मतगणना के उद्देश्य के लिए की गई हैं और संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा की तारीख के तुरन्त बाद प्रभावी नहीं रहेंगी।

[सं. 434/पंजा-लो.स./2004]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2004

O.N. 100(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 434/PB-HP/2004, dated 7th April, 2004, regarding appointment of Assistant Returning Officers for Parliamentary Constituencies in the State of Punjab, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification against item Nos. 3-Taran Taran, 6-Hoshiarpur and 10-Sangrur, after the existing entries, the following corresponding entries shall respectively be added.

TABLE

No. and Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
Returning Officer for 3-Taran Taran Parliamentary Constituency	10-Tehsildar, Taran Taran 11-Tehsildar, Patti
Returning Officer for 6-Hoshiarpur Parliamentary Constituency	10-Tehsildar, Garhshanker 11-Tehsildar, Hoshiarpur
Returning Officer for 10-Sangrur Parliamentary Constituency	10-Tehsildar, Malerkotla 11-Tehsildar, Bamala

The above appointments have been made for counting purposes only, and shall cease to be in operation immediately after the date of declaration of the result of the concerned Parliamentary Constituency.

[No. 434/PB-HP/2004]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.